न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 111 / 2021

1 भागीरथमल आयु 75 साल पुत्र मोहरूराम उर्फ मोहरीलाल जाति ब्राह्मण पेशा कृषि निवासी ग्राम व पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज।
2 नन्दकिशोर आयु 68 साल पुत्र स्व. सागरमल
3 बजरंगलाल आयु 55 साल पुत्र स्व. सागरमल
4 केदारमल आयु 73 साल पुत्र स्व. सागरमल
5 राधेश्याम आयु 66 साल पुत्र स्व. सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती अनिता आयु 43 साल पत्नी बजरंगलाल
2 अशोक कुमार आयु 38 साल पुत्र स्व. धर्मपाल
3 श्रीमती ग्यारसी आयु 69 साल पत्नी स्व धर्मपाल
4 श्रीमती ज्योती आयु 35 साल पत्नी अशोक कुमार
5 श्रीमती पुनम आयु 33 साल पत्नी सोहनलाल
6 श्रीमती प्रियंका आयु 35 साल पत्नी सत्यवीर
7 पवन कुमार आयु 43 साल पुत्र स्व. बाबुलाल
8 बजरंगलाल आयु 48 साल पुत्र स्व धर्मपाल
9 श्रीमती भानमती आयु 38 साल पत्नी पवनकुमार
10 मोहनलाल आयु 35 साल पुत्र स्व. बाबूलाल
11 रेखा पुत्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं हाल निवासी मानोता कला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
12 श्रीमती लाली देवी आयु 63 साल पत्नी स्व. बाबूलाल
13 सतवीर आयु 41 साल पुत्र स्व. धर्मपाल
14 सोहनलाल आयु 35 साल पुत्र स्व. बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(झुन्झुनूं)

15 श्रीमती गुड्डी आयु 33 साल पुत्री स्व. मखनलाल पत्नी संजय जाति ब्राह्मण निवासी उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

16 देवीदत्त आयु 65 साल पुत्र भागीरथमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं हाल निवासी जाटु श्याना तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणां

17 मनोज कुमार आयु 39 साल पुत्र भागीरथमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं हाल निवासी जाटु श्याना तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणां

18 मृतक महावीर प्रसाद आयु 73 सालपुत्र स्व. मक्खनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं नोट–दौराने अपील दिनांक 15.02.2022 को देहान्त हो गया।"

18/1 श्रीमती पुष्पादेवी आयु 66 साल पत्नी

18/2 सुमन आयु 46 साल पुत्र

18/3 संजय आयु 31 साल पुत्र

18/4 लक्ष्मीकान्त आयु 28 साल पुत्र स्व. महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

18/5 श्रीमती सुनिता आयु 41 साल पुत्री स्व. महावीर प्रसाद पत्नी अशोक कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट रामबास जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

18/6 श्रीमती मीना आयु 36 साल पुत्री स्व. महावीरप्रसाद पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट मनाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

19 मृतक श्रीमती रेशमा पुत्री स्व. मक्खनलाल पत्नी हनुमानप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बिशनपुरा पोस्ट अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं नोट– दौराने अपील दिनांक 14.10.2023 को देहान्त हो गया।'

19/1 हनुमान प्रसाद आयु 66 साल पुत्र रामुराम

19/2 पवन आयु 37 साल पुत्र

19/3 सुनिल आयु 33 साल पुत्र

19/4 मुकेश आयु 31 साल पुत्र

19/5 रहीश आयु 29 साल पत्र हनुमानप्रसाद व स्व. श्रीमती रेशमा जाति ब्राह्मण निवासी बिशनपुरा पोस्ट अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

19/6 श्रीमती सुशीला आयु 41 साल पुत्री स्व. श्रीमती रेशमा व हनुमान प्रसाद पत्नी दीनदशल जाति ब्राह्मण निवासी कासीमपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
20 श्रीमती लाली आयु 58 साल पुत्री स्व. मक्खनलाल पत्नी शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बनगोठड़ी कला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
21 श्रीमती बिमला आयु 69 साल पुत्री स्व. मक्खनलाल पत्नी स्व. रघुनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बिशनपुरा पोस्ट अगवाना खुर्द तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
22 सन्त कुमार आयु 62 साल पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
23 श्रीमती सुमन देवी आयु 48 साल पुत्री भागीरथमल पत्नी श्रवण कमार जाति ब्राह्मण निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
24 सुरेश कुमार आयसु 48 साल पुत्र स्व. मक्खनलाल
25 हीरालाल आयु 53 साल पुत्र स्व. मक्खनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
26 बैंक ऑफ बड़ौ शाखा बलोदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबंधक ।
27 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिंघाना तहसील सिघाना जिला झुन्झुनूं।
28 आई.सी.आईबैंक शाखा सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
29 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायायल उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं दिनांक 17.11.2021
मुकदमा उनवानी अनिता आदि बनाम केदारमल आदि आवेदन
पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.4.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 187/2019 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 14 ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 256, 284, 285, 301/284, 305/254 वाके ग्राम धूलवा तहसील बुहाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट भागीरथमल के अलावा अन्य अपीलान्टस पर रेस्पोडेन्टस नं. 1 से 14 के प्रार्थना पत्र की तामील नहीं हुई। विचारण न्यायालय की अश्देशिका दिनांक 11.11.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत होना व दर्ज होना व तलबी हेतु दर्ज है व पेशी दिनांक 22.11.2019 दी जाना अंकित है। दिनांक 22.11.2019 को उक्त आदेशिका के अनुसार पत्रावली पेशी में नहीं आई व बाद में बिना किसी आदेश या हस्ताक्षर के आदेशिका पर इबारत लिखी गई। दिनांक 10.02.2021 से पूर्व तक पत्रावली में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आदेशिका पर नहीं है व न तलबी के आदेश है केवल रीडर द्वारा तारीख देना अंकित किया हुआ है। दिनांक 14 को काटकर दिनांक 10.02.2021 कर पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में रीडर द्वारा तारीख पेशी दी गई इससे पूर्व या इस रोज तलबी के लिये या तलबी जारी करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया। इसके बाद दिनांक 17.03.2021 से

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

पूर्व मौके की रिपोर्ट मौके के अनुसार मंगवाने का कोई आदेश पारित किया हुआ नहीं है। लेकिन दिनांक 17.03.2021 को यह आदेश पारित किया हुआ है कि तहसीलदार बुहाना को लिखा जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई जावें। इसके बाद रीडर द्वारा पेशीयां दी जाती रही व दिनांक 25.10.2021 को बहस सुनना दर्ज कर आदेश के लिए पेशी दिनांक 17.11.2021 देना अंकित कर दिनांक 17.11.2021 को निर्णय (आदेश) पारित कर दिया जो आदेश अपीलान्टस को बिना सुने बिना साक्ष्य बिना आपत्ति लिये विधि विरूद्ध पारित किया जो खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 14 ने अपने आवेदन पत्र में जमीन खसरा नम्बर 282 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे पगडण्डी 4 फीट की होना अंकित कर 11 फुट चौड़ाई के रास्ता का अनुतोष चाहा। रिपोर्ट दिनांक 06.03.2021 व रिपोर्ट दिनांक 30.03.2021 में अंकित किया हुआ है कि मौके पर खसरा नम्बर 282 की उत्तरी सींव कायम नहीं है व यह भी अंकित किया हुआ है कि खसरा नम्बर 281 के भाग की जमीन में से उत्तर व पूर्वी तरफ पगडण्डी मौके पर चालु है। इस प्रकार उक्त मौके की दोनों रिपोर्ट आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों का समर्थन नहीं करती है। विचारण न्यासयालय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व इसके तहत निर्मित राजस्थान टिनेन्सी रूल्स 68 व 69 की पालना नहीं की। दिनांक 30.03.2021 को मौके देखने बाबत पक्षकारान को नोटिस ही जारी नहीं किये गये। इस प्रकार निर्णय विधि विरूद्ध है। उक्त रिपोर्ट में अंकित रास्ता के अलावा नया रास्ता कायम करने का आदेश विधि विरूद्ध है। इस जांच रिपोर्ट पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत न करने का मौका न देकर निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया गया है। नियम 70 की पालना नहीं की गई। पक्षकारान की सहमति या असहमति का उल्लेख नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने जमीन खसरा नम्बर 282 रकबा 1.13 है. वाके ग्राम धुलवा के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित करने में भुल की है। राजस्व रिकार्ड में श्रीमती ग्यारसी देवी व श्रीमती सुनिता देवी भी सहखातेदारी के इन्द्राजात में से अकन है। जिनको पक्षकार न बनाकर उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित करने में भुल की है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 14 ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर दुर्भावना पूर्वक गलत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जमीन खसरा नम्बर 282 व खसरा नम्बर 283 के रिकार्डेड खातेदारान का नाम भी खसरा नम्बर 281 रकबा 6.37 है. में दर्ज है व

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तीनों खसरा नम्बर की जमीन एक दुसरे से सटकर है सह खातेदारान ने आपस में आपसी सहुलियत से विभाजन कर रखा है। इस कारण ही जमीन खसरा नम्बर 282 की उत्तरी सींव मौके पर नहीं है और काफी वर्षो से नहीं है इससे साफ जाहिर है कि आवेदन पत्र के खसरा नम्बर 282 के उत्तरी सींव के सहारे सहारे रास्ता जोत के टुकड़े करने की दुर्भावना पूर्वक दर्ज किया है। उक्त दोनों रिपोर्ट से भी प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 282 की उत्तरी सींव मौके पर नहीं है। अपीलान्ट भागीरथमल के कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 282 व 281 के भाग के उत्तरी की तरफ पूर्व में तारबन्दी काफी पुरानी की हुई है व इस जमीन में चना व सरसो की फसल बो रखी है। विचारण न्यायालय ने आवेदन पत्र के तथ्यों का अवलोकन किये बिना ही व चाहे गये अनुतोष से अधिक अनुतोष मनमाने तौर पर प्रदान करने में भी भुल की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018–19 सप्ली पेज 576, डीएनजे 2021(1) रेव पेज 593, आरआरटी 2020(2) पेज 979 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 14 ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 256, 284, 285, 301/284, 305/254 वाके ग्राम धूलवा तहसील बुहाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय में सभी पक्षकारों की सम्यक तामील हुई है। बाद तामील अपीलान्ट भागीरथ की दिनांक 10.02.2021 को जरिये वकील वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार सम्यक तामील के उपरांत अपीलान्ट का भागीरथ का जवाब प्राप्त कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना, प्रस्ताव रास्ता निकटतम दूरी का होना एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना निर्धारित कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 14 ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 256, 284, 285, 301/284, 305/254 वाके ग्राम धूलवा तहसील बुहाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 10.02.2021 की आदेशिका में विचारण न्यायालय ने अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से श्री नरेश भारद्वाज द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 5, 4, 8 व 20 की तामील असालतन अप्रार्थी संख्या 7 की तामील भाई से, अप्रार्थी संख्या 16 की तामील पत्नी से, अप्रार्थी संख्या 14 की तामील रजिस्टर्ड डाक से होकर प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 23 की तामील इन्कारी से होकर प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 17, 18, 19 की तामील नहीं हुई। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी तिथि हेतु नियत की गई है। इसके उपरांत शेष पक्षकारान की तामील पूर्ण करवाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तामीली प्रकिया पूर्ण किये बिना, बावजूद तामील अनुपस्थित पक्षकारों के विरूद्ध विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश किये बिना रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि समस्त अप्रार्थीगण की सम्यक तामील करवाकर, जवाब प्राप्त कर, उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.05.2026 को उपस्थिति देवें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

निर्णय आज दिनांक 24.4.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार म)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर